न्यायालय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,पूर्णियॉ।
पीठासीन पदाधिकारी– राकेश कुमार पाण्डेय,
जमानत आवेदन सं0– 584/2026
के0नगर थाना कांड सं0– 105/2026
आदेश की तिथि – 09.07.2026

****

<u>न्यायालय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, पूर्णियॉ।</u>
<u>जमानत आवेदन सं0– 584/2026</u>
सी.आई.एस. नं0– 584/2026

मनीष कुमार उम्र 21 वर्ष
पिता– धीरेन्द्र पासवान
ग्राम– बिठनौली बनियापट्टी वार्ड नं0–1, थाना– के0नगर
जिला–पूर्णियॉ ..... आवेदक/अभियुक्त

वनाम

बिहार राज्य ..... विरोधी पक्ष

अभियोजन पक्ष की ओर से :– श्रीमती पूर्णिमा सिन्हा,विशेष लोक अभियोजक,

अभियुक्त की ओर से :– श्री कुमार संतोष सिंह, विद्वान अधिवक्ता

****

<u>09.07.2026</u>

काराधीन अभियुक्त **मनीष कुमार** जो दिनांक 02.05.2026 से के0 नगर थाना कांड सं0– 105/2025, प्राथमिकी अंतर्गत धारा 96, 3(5) भारतीय न्याय संहिता अधिनियम में न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

सूचिका के आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में है कि सूचिका दिनांक 04.04.2026 की समय करीब 12 बजे दिन अपने रिश्तेदारी में काझा गणेशपुर गई थी, उसी दिन रात्रि करीब 9 बजे उसे फोन पर सूचना मिली कि उसकी पुत्री घर पर नहीं है। सूचिका दिनांक 05.04.2026 के सुबह 6 बजे अपने घर आयी और अपनी पुत्री की खोजबीन करने लगी। खोजबीन के क्रम में पता चला कि मनीष कुमार उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर गलत नियत से लेकर फरार हो गया है। खोजबीन में यह भी पता चला कि उसकी पुत्री को भगाने में लड़का का दोस्त जीवछ कुमार, अभय कुमार, का हाथ है। जानकारी के पश्चात लड़का के पिता धीरेन्द्र पासवान एवं मॉ कुमकुम देवी के घर पर कहने के लिए गयी, तो वे दोनों घर से निकल कर उल्टा सीधा बोलने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे स्थानीय राजनीति के तहत गलत रूप से फॅसा दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत और बनावटी है। आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पीड़िता के बयान से यह मामला प्रेम प्रसंग का है। आगे कथन किया गया है कि आवेदक पीड़िता का अपहरण नहीं किया है, बल्कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने के कारण पीड़िता आवेदक से शादी करना चाहती थी परन्तु उसके माता पिता तैयार नहीं था, और वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ शादी कर ली। आगे कथन है कि आवेदक न्यायालय में

न्यायालय,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,पूर्णियॉ।
पीठासीन पदाधिकारी– राकेश कुमार पाण्डेय,
जमानत आवेदन सं0– 584/2026
के0नगर थाना कांड सं0– 105/2026
आदेश की तिथि – 09.07.2026

****

लगातार

09.07.2026

दिनांक 02.05.2026 को स्वयं न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 02.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना करते है कि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया।

अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद है, और प्राथमिकी के अनुसार आवेदक के विरूद्ध अभियोग है कि वह सूचिका की नावालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया जिसका समर्थन अनुसंधान के दौरान साक्षियों ने किया है जो कांड दैनिकी के कंडिका 2, 6, 7 के परीशीलन से होता है। अभिलेख पर पीड़िता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है, उसमें उल्लेखित जन्म तिथि तथा मामले में घटना तिथि से गणना करने पर घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 वर्ष 03 माह 04 दिन होती है जिससे यह प्रतीत होता है कि पीड़िता घटना के समय नावालिग थी तथा आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता पाते हुए अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा न्यायालय में धारा 96, 65(1) भारतीय न्याय संहिता, धारा 4 पॉक्सो अधिनियम एवं धारा 9 बाल बिवाह अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

अतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त अपराध को कारित करने में आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता को दर्शाने वाले उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार, आवेदक अभियुक्त **मनीष कुमार** की जमानत की प्रार्थना को **अस्वीकृत** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति अनु0 न्या0 दण्डा0पूर्णियॉ को के0नगर थाना कांड सं0– 105/2026 में संलग्न करने हेतु प्रेषित करें।

(लेखापित)
ह0/–
(राकेश कुमार पाण्डेय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,पूर्णियॉ।

Dated of Judgment/Order	09-07-2026
date of Reserving Judgment/ Order	N/A
Uploading Date	13-07-2026
Uploaded by	Steno of the Court